न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 134 / 2025 बउनवानी रामसहाय बनाम अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/296

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
17.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **"प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.3.2025 को की गयी शिकायत पर की गयी जॉच / कार्यवाही की प्रमाणित प्रति"** अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक / आरटीआई / 2025 / 979 दिनांक 17.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.4.2025 मे चाही गयी सूचना के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को जरिये पत्रांक 849 दिनांक 13.10.2025 से लिखा गया किन्तु तहसीलदार गंगापुर सिटी कोई जवाब नही भिजवाया गया है। इसलिए अपीलान्ट को कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाने बाबत अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक 849 दिनांक 13.10.2025 से तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा गया था किन्तु तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अभी तक अपीलान्ट को उक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है ओर ना ही सूचना उपलब्ध नही करवाने का कोई विधिसम्मत कारण बताया गया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी का उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 के प्रावधानों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 7 दिवस मे अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता से व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रावधानों मे तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावें। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner